



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 20.10.2026

- थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मृत्यु का भय दिखाकर जबरन वसूली की घटना कारित करने वाले वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।
- अभियुक्तगण के कब्जे से ₹ 8,300/- नगद व घटना में प्रयुक्त होण्डा एमेज कार बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 18.10.2026 को थाना मंगलपुर पर वादी जिलानी पुत्र हासिम अली, निवासी ग्राम चकफाजलपुर थाना कुंदरकी जनपद मुरादाबाद द्वारा लिखित तहरी बावत दिनांक 17.10.2026 को वादी व वादी के पिता द्वारा रसूलाबाद से सिकंदरा की तरफ आइसर कैंटर वाहन द्वारा जाना तभी थाना मंगलपुर क्षेत्रांतर्गत स्थित भारत पेट्रोल पंप के पास एक चार पहिया वाहन कार से चार व्यक्तियों द्वारा अपनी गाड़ी में टक्कर मारने का आरोप लगाते हुए वादी व उसके पिता के साथ गाली-गलौच व मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देते हुए वादी से 1000/- रुपये व वादी के पिता से 2000/- रूपए ले लेना व तमंचा के बल पर मृत्यु का भय दिखाकर और रूपए मांगना, डर के कारण वादी द्वारा अपने मित्र के माध्यम से अभियुक्त गण द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर पर 15,000/- रूपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाकर कुल 18,000/- रूपए जबरन बसूली कर ले जाने के संबंध में दी गई जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 355/26 धारा 126(2)/ 352/308(5) बीएनएस बनाम 1. शिवम पुत्र अज्ञात, 2. अमित पाल पुत्र अज्ञात, 3. अन्य दो अज्ञात व्यक्ति निवासीगण अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 20.10.2026 को थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये मुखबिरखास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. सत्यम उर्फ लालू पुत्र अमर सिंह उर्फ मुन्ना निवासी वार्ड नं0 17 शंकरगंज झींझक थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात, 2. अवनीश राव पुत्र शिवनाम सिंह निवासी ग्राम खम्हैला झींझक थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को थाना मंगलपुर क्षेत्रांतर्गत कुदौली रोड जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में वांछित शेष 01 अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ अभियुक्तगण- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण सत्यम व अवनीश उपरोक्त द्वारा एकराय होकर बताया गया कि दिनांक 17.10.2026 की रात में हम चारों लोग साथ थे। हम दोनों, अमित पाल और मेरा भाई शिवम हम चारों लोग अमित पाल की कार होण्डा एमेज में झींझक से सिकंदरा की तरफ जा रहे थे। तभी हम लोगों ने एक योजना बनायी कि हम लोग किसी गाड़ी को सड़क पर रोकेगें और गाड़ी वाले से कहेंगे की तुमने हमारी कार में टक्कर मारकर कार तोड़ दी है और डरा-धमकाकर उससे रूपये की माँग करेंगे। जैसे ही हम लोग मंगलपुर चौराहे से आगे पहुंचे तो हमने देखा की हमारे आगे एक कैंटर जा रहा है तभी हम लोगों ने मंगलपुर चौराहे से आगे जाकर पेट्रोल पम्प के पास उक्त कैंटर के आगे अपनी कार लगाकर उसे रुकवा लिया और ड्राईवर व उसके सहायक को नीचे उतारकर उनके साथ मारपीट की तथा उन्हें डरा-धमकाकर ₹ 3,000/- उनसे जबरन ले लिये और उन लोगों से अमित पाल उर्फ अनुज ने मोबाइल पर 15,000/- रूपये ऑनलाईन ट्रांसफर करा लिये थे। फिर हमलोग कार में बैठकर वापस झींझक के रास्ते रूरा की तरफ जा रहे थे तभी हमारी कार खराब हो गयी। रात का समय होने के कारण कार सही नहीं हो सकी इसलिए हमने कार वहीं पर छोड़ दी और सोचा की कार को सुबह ठीक कराकर ले जायेंगे। इसके बाद हम दोनों अमित पाल के साथ कानपुर चले गये थे तथा सत्यम के भाई शिवम को हमने कार ठीक कराने के लिए घर भेज दिया था। बाद में हमें पता चला कि शिवम को पुलिस ने पकड़ लिया है। रेहान खान को ऑनलाइन ट्रांसफर किये गये रूपयों को अमित पाल ने रेहान खान से नगद ले लिया था। उक्त रूपयों को हम लोगों ने आपस में बराबर बाँट लिया था। अमित पाल के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि अमित पाल को कुछ जरूरी काम था और वह हमें बिना बताये कहीं चला गया था। तत्पश्चात मौके पर मौजूद होण्डा एमेज कार रंग सफेद नं0 UP70 FE 1314 के संबंध में जानकारी की गयी तो दोनों ने बताया कि यह कार खराब हो गयी थी जो झींझक नहर कोठी के पास नहर की पटरी पर खड़ी थी, कल दिनांक 19.10.2026 को झींझक के रहने वाले विकास, विजय व विवेक ने हमारे कहने पर उस खराब कार को ठीक करवाया था तथा कार को ठीक करवाकर हमें चाबी दे दी थी। और हम वहाँ से कार लेकर चले गये थे, आज उक्त कार से हम दोनों लोग किसी काम से औरैया जा रहे थे कि आपने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1. सत्यम उर्फ लालू पुत्र अमर सिंह उर्फ मुन्ना, उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड नं0 17 शंकरगंज झींझक थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
2. अवनीश राव पुत्र शिवनाम सिंह, उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम खम्हैला झींझक थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त सत्यम उर्फ लालू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0266/2024 धारा 115(2),351(2),352 बीएनएस व 3(2)(va) sc/st act थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात ।
2. मु0अ0सं0 0077/2025 धारा 109(1),115(2),352 बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात ।
3. मु0अ0सं0 0340/2026 धारा 115(2),324(4),351(3),352 बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात ।
4. मु0अ0सं0 0203/2024 धारा 323,452,504,506 भा0दं0सं0 थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात ।

बरामदगी का विवरण-

1. अभियुक्त सत्यम उर्फ लालू उपरोक्त की जामा तलाशी से ₹ 4,300/- नगद ।
2. अभियुक्त अवनीश राव उपरोक्त की जामा तलाशी से ₹ 4,000/- नगद ।
3. घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा एमेज कार रंग सफेद नं0 UP70 FE 1314 ।

गिरफ्तार करने वाली थाना मंगलपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री मिलन सिरोही
2. का0 205 अनूप कुमार
3. का0 1088 रमन यादव
4. का0 557 अनिल कुमार
5. का0 1198 मो0 आलम